झारखंड उच्च न्यायालय रांची में

आपराधिक विविध याचिका सं. **3924/2023**

रणबीर भगत उर्फ रणबीर भगत, आयु- लगभग 34 वर्ष, पिता-स्वर्गीय शिव नारायण भगत, गाँव-ह्वाहार, डाकघर एवं थाना -किस्को, जिला-लोहरदगा

याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए:श्री अनिल के. सिन्हा, अधिवक्ता

राज्य के लिएः श्री पी. के. चटर्जी, विशेषलोक अभियोजक

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें दिनांकित 08.08.2023 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को दी गई जमानत को रद्द कर दिया गया है और अदालत में पेश नहीं होने के परिणामस्वरूप उसके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया है, हालांकि मामला आरोप तय करने के लिए तय किया गया था और याचिकाकर्ता नगरी पी. एस. मामला सं. 192/2020, जो एस. टी. सं. 575/2022 के अनुरूप है, का एकमात्र आरोपी है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में एक कांस्टेबल/जी. डी. है और वह वर्तमान में एक दूर के स्थान पर तैनात है और वह अपने वकील से संपर्क नहीं कर सकता है, इसलिए वह निर्धारित तिथि पर अदालत में उपस्थित नहीं हो सका और निर्धारित तिथि की गैर-उपस्थिति न तो जानबूझकर है और न ही इरादतन है।आगे प्रस्तुत

किया जाता है कि याचिकाकर्ता मामले की सुनवाई में सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक है और उसके खिलाफ आरोप तय करने पर विचार करने के लिए भी तैयार है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि नागरी पी. एस. केस सं. 192/2020 जोएस. टी. संख्या 575/2022के अनुरूप है, संबंधी 08.08.2023 दिनांकित आदेश रद्द कर दिया जाए और खारिज कर दिया जाए।याचिकाकर्ता अगली निर्धारित तिथि पर विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और आरोप पर विचार करने और मामले की सुनवाई में सहयोग करने का वचन देता है।

4. राज्य के लिएविद्वान विशेष लोक अभियोजकनेनागरी पी. एस. केस सं. 192/2020 जोएस. टी. संख्या 575/2022के अनुरूप है, के संबंध में पारित दिनांकित 08.08.2023 आदेश को रद्द करने की प्रार्थना का जोरदार विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई है, इसलिए यह याचिका बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज कर दी जाए।

5. बार में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद और निचली अदालत द्वारा तय की गई अगली तारीख को निचली अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा समर्पण और आरोप तय करने के लिए विचार के साथ-साथ मामले की सुनवाई में सहयोग करने के लिएदिए गए वचन को ध्यान में रखते हुए,इस आपराधिक विविध याचिका का निपटान याचिकाकर्ता को नागरी पी. एस. केस सं. 192/2020 मामले में जोएस. टी. संख्या 575/2022के अनुरूप है,अगली तारीख अर्थात 17.02.2024 को ठीक 10.30 बजे प्रातः निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश के साथ किया जाता है। विद्वत निचली अदालत को निर्देश दिया जाता है कि वह उस दिन आरोप तय करने पर विचार करे और आरोप तय करने पर विचार करने के बाद, यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को 25, 000/- रुपये के नए जमानत बांड पर समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथऔर यदि कोई शर्त हो, जो विद्वत न्यायालय द्वारा लगाई जाएगी, के साथ 17.02.2024 को जमानत दी जाए।

6. इस आपराधिक विविध याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 24 जनवरी, 2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|